## धारा 13 : सेवाओं की पूर्ति का समय

(1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय पर उद्भूत होगा।

(2) सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम तारीख होगा, अर्थात् :

**(क)** पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की [1]**[.....]** अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

**(ख)** सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की [2]**[.....]** अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

**(ग)** उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा–बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है :

**परंतु** जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम से संबंधित बीजक जारी करने की तारीख होगी।

**स्पष्टीकरण**–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,–

**(i)** पूर्ति को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आती है;

**(ii)** ''संदाय प्राप्त करने की तारीख'' वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा–बहियों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदत्त किए जाने के लिए दायी है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :–

**(क)** संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या

**(ख)** [3]**[**उन मामलों में जहां बीजक पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए**]** कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीखः

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (2) के'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उपधारा (2) के'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

[4][(ग)] उन मामलों में, जहां बीजक पूर्तिकार द्वारा जारी नहीं किया जाना है, वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख]

**परन्तु** जहां खंड (क) या खंड (ख) [5][या खंड (ग)] के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं हैं, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगा:

**परन्तु यह और** कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा–बहियों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(4) [6][.....]

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,–

**(क)** उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या

**(ख)** किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

---

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा ''पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

4 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा खंड (ग) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

5 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

6 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा उपधारा (4) विलोपित। प्रभावशील दिनांक अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

''किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचरों की पूर्ति की दशा में पूर्ति का समय,–

**(क)** वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिंदु पर पहचान योग्य है; या

**(ख)** अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।''